अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 165/2014

अपीलार्थी – कुमारी रंजू

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 692/प्रो0 दिनांक 29.01.2014 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में आरोप यह है कि श्रीमती कंचन कुमारी महिला पर्यवेक्षिका सरायगढ़ भपटियाही द्वारा दिनांक 28.09.2012 को 10:30 बजे पूर्वाह्न में सुपौल परियोजना के केन्द्र सं0– 146 भूतपूर्व मुखिया के दरवाजे का बाल पोषाहार निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सेविका केन्द्र से अनुपस्थित थी, जबकि सहायिका केन्द्र पर 09 पंजीकृत बच्चों के साथ उपस्थित थी। केन्द्र पर कोई सूची प्रदर्शित नहीं था, न ही पोषाहार साम्रगी ही था, तथा केन्द्र पर मात्र 03 पंजी ही उपलब्ध था।

बच्चों की कम उपस्थिति एवं अन्य उपर्युक्त अनियमितताऐं के आलोक में कार्यालय पत्रांक 1596/प्रो0 दिनांक 01.11.2012 द्वारा सेविका श्रीमती रंजू देवी से स्पष्टीकरण माँगा गया, तथा दिनांक 14.11.2012 को अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु भी निर्देश दिया गया। अपने स्पष्टीकरण में सेविका ने बताया कि 28.09.2012 को निरीक्षण तिथि

को पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के तहत् 10:00 बजे ही परियोजना कार्यालय सुपौल में मासिक बैठक में भाग लेने हेतु चली गई, वहाँ जाने पर परियोजना कार्यालय के बड़ा बाबु ने मुझे बताया कि आज की निर्धारित बैठक अपरिहार्य कारण वस स्थगित कर दी गई है, तो मैने शीघ्र परियोजना कार्यालय के बड़ा बाबु के कथनानुसार बस ऑटो का सहारा लेकर ही अपने प्रश्नगत केन्द्र पर 11:30 बजे केन्द्र पर पहुँच गई। तब तक महिला पर्यवेक्षिका कंचन कुमारी केन्द्र का जाँच कर (भपटीयाही) चली गई थी। महिला पर्यवोक्षिका ने अपने जाँच प्रतिवेदन मे पंजी कृत बच्चों की संख्या –09 लिखे है जबकि उस समय भी पंजीकृत बच्चों की संख्या – 15 से –19 के बीच था, और कुछ बच्चें आ भी रहे थे। उपस्थित बच्चों को सहायिका द्वारा विस्कूट दिया जा रहा था, जिसका ज़िक निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण में किया गया है। लाभार्थी की सूची बोर्ड के बारे में बताया कि ये सभी चीजे केन्द्र पर मौजूद था, जिसे निरीक्षी पदाधिकारी ने गौर नहीं किया मेरे केन्द्र पर पहुँचने से पहले पोषाहार बनाया जा रहा था, तथा 35 बच्चे उपस्थित थे।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में की गई जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता व सरकारी अधिवक्ता ने भाग लिया व अपना – अपना पक्ष रखा।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का चयन मुक्ति आदेश पूर्णतः गलत एवं न्यायिक दृष्टि से काफी दुर्बल है, यह निर्णय यांत्रिक तरीके से लिया गया है, जो खंडित योग्य है। उन्होंने बताया कि कंचन कुमारी महिला पर्यवेक्षिका सरायगढ़ भपटियाही द्वारा केन्द्र सं0 –146 सुपौल परियोजना का 28.09.2012 को जाँच करवाया गया, जो **without juridiction** है, एवं निरीक्षी पदाधिकारी ने जो जाँच प्रतिवेदन पारा–1 में समर्पित किए, वह पूरी तरह गलत, – **ipso- facto,and violation of guidelines** है।

इसी क्रम में आँगनबाड़ी चयन मार्ग दर्शिका –2013 के पत्राक 550 दिनांक 20.3.2012 के पारा – 5 में अंकित है कि महिला पर्यवेक्षिका की भुमिका – इस कार्य क्रम के प्रभावशाली कार्योन्वयन में आँगनबाड़ी सेविका की महत्वपूर्ण भुमिका होगी, परन्तु महिला पर्यवेक्षिका भी अपने अधीन केन्द्रो का शत –प्रतिशत निरीक्षण करेगी। क्रय पंजी का सधारण , पोषाहार की गुणवता, वितरण की प्रणाली एवं समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करना उनका विशेष जिम्मेदारी होगी। महिला पर्यवेक्षिका का यह भी कहना दायित्व होगा हर प्रयास कर इस कार्यक्रम को facilitate करें, न कि कभी –

कभी निरीक्षण कर व्यवस्था में केवल कमिया बतावें।

इसका मतलब साफ यह है कि कंचन कुमारी – निरीक्षी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सरायगढ़ परियोजना से सुपौल परियोजना के केन्द्र स0–146 में जाँच हेतु प्रतिनियुक्ति किया गया, वह violation of juridiction के साथ उच्चाधिकारी के आदेश का भी उल्लंघन भी है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निरीक्षण की तिथि को केन्द्र खुला था, सेविका पूर्व निर्धारित बैठक में भाग लेने हेतु सुपौल गई थी, एवं अपना सारा दायित्व विभागीय निर्देश के अनुसार सहायिका को पोषाहार आदि देकर मीटिंग में गई थी, जो विभागीय मार्गदर्शिका पत्र – 956 dated- 14.03.2012 के कंडिका –1 में उद्धृत है इसका मतलब साफ है कि सेविका से तो स्पष्टीकरण पूछकर चयन मुक्ति आदेश दिया गया किन्तु सहायिका को बिना कुछ पूछे ही छोड़ दिया गया जो परिलक्षित करता है सेविका के प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश Extraneous reason को प्रमाणित करता है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि प्रश्नगत मामले की सुनवाई 14.11.2012 को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में हुई,एवं चयन मुक्ति आदेश 29.01.2014 को निर्गत किया गया जो लगभग 1 साल दो महीने, एवं 28 दिनों के बाद दिया गया जो बिना जाँच किए दिया गया। जो बताता है कि आदेश Extraneous reason से प्रेरित दिखता है।

उन्होंने इस न्यायालय को बताया कि निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण तिथि को केन्द्र पर लाभुक बच्चे 35 आए थे,(उपस्थिति पंजी अवलोकनार्थ) जिन्हे पूरक शिक्षा एंवं पोषाहार दिया गया था, चूँकि सेविका मासिक बैठक में गई थी, उस समय उनके आने तक 35 बच्चे आ गए थे, निरीक्षी पदाधिकारी के आने के समय 15 बच्चे थे जो उन्होंने निरीक्षण पंजी में अंकित किए।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं एव निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण तिथि को केन्द्र खुला था, सहायिका केन्द्र का संचालन क़र रही थी, सहायिका ने निरीक्षी पदाधिकारी को बताया कि सेविका सुपौल परियोजना में मीटिंग में गई है , निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षी पंजी में अंकित किए है कि 15 बच्चे आए थे जिनमें 09 पंजीकृत बच्चे थे, मीटिंग न होने पर भागे वापस आने तक बच्चों की संख्या 35 हो गई थी जो sep-12 के पोषाहार पंजी में अंकित है निम्न न्यायालय को बच्चो की कम उपस्थिति एवं पोषाहार सही ढ़ंग

से वितरण न होने की स्थिति में विभागीय मार्ग दर्शिका पत्रांक 956 दिनांक 14.03.2012 की कंडिका (3) (1) से जाँच करवानी चाहिए जाँच करवाने से उन्हे कोई रोका तो नहीं था? सुनवाई के एक साल दो महीने 28 दिनों के बाद चयन मुक्ति आदेश को क्यों नहीं माना जाय वाहयजनित कारण (Extraneous reasons) से प्रेरित है अथवा निहित स्वार्थ के लिए लिया गया निर्णय क्यों नहीं माना जाय? निम्न न्यायालय का आदेश पूर्णतः गलत एवं निहित स्वार्थ के लिए लिया गया निर्णय है।

अतः यह न्यायालय ज्ञापांक 692 दिनांक 29.01.2014 को जो निहित स्वार्थ वश लिखा गया निर्णय है, खंडित करती है, तथा सेविका रंजू कुमारी को पुनः आदेश निर्गत तिथि से सेविका के पद पर चयन बरकरार रखती है, तथा सेविका रंजू कुमारी से अनुरोध करती है कि निर्धारित अवधि तक केन्द्रो पर रहकर लाभुक बच्चों के लिए T.H.R. वितरण दिवस एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए सदा सजग व मुस्तैदी व जवाबदेही से कार्यक्रम को करें। वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

21.1.2015.

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा